

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक ९०१५७।८४।१०।३४

भोपाल, दिनांक २३।१।२०१०

प्रति,

अध्यक्ष,  
जयप्रकाश सेवा संस्थान,  
६३, बसन्त लोक, बसन्त बिहार,  
नईदिल्ली ।

विषय:- मध्यप्रदेश में Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, Guna (M.P.) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव।

संदर्भ:- प्रस्ताव क्रमांक ३२ / विअ. / जे.पी. / दिनांक २३.१.२०१०

मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्राप्त प्ररताव का परीक्षण किया गया, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशासा क्रमांक ३२ दिनांक २३.१.२०१० के अनुसार राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के आपकी संस्था के प्रस्ताव पर आशय-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं विहित प्रक्रिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी।

शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. वह-

- (क) मुख्य परिसर स्थापित करेगा।
- (ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विन्यास विधि स्थापित करेगा।

2. वह स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम 20 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी लागत प्रस्तुत करेगा।

3. वह ग्रामसकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।
4. वह निम्नलिखित प्रभाव का परिवर्चन देगा कि:-
- निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्ववित्तपोषित होगा।
  - निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा।
  - निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल पश्चात तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय(डिसिप्लीन) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारिवृन्द सहित पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
  - वह छात्रों के लाभ हेतु विनियामक निकाय द्वारा अधिकारित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वरथ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम कियाकलाप, जैसे सेमिनार, बादबिगाद, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्यतर कियाकलाप जैसे कौड़ा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल कैफिट कोरप्स आदि, को करेगा।
  - वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।
  - वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी देगा जैसा कि केन्द्रीय विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।
  - विनियामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकारित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को न्यूनतम मापदण्डों में पूरा करेगा।

- (ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिमन्त्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा।
- (झ) वह विनियामक निकायों के मानकों या मार्गदर्शनों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तथा फीस के नियतन को अवधारित करेगा।
- (ञ) उसका नेशनल कौसिल ऑफ इसेसमेन्ट एण्ड एकेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यापोजन किया जाएगा।
- (ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंध विनियामक आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अहंता रखेगा तथा उसको समुचित पारिश्रमिक संदर्भ करेगा।
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खूला रहेगा और जाति, पंथ धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह धिधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे।
- (ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
- (क) विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने उपरोक्त

FROM : JYOTEE 3

FAX NO. : 0755 2463624

23 Jan. 2010 6:16PM P3

उपबंधों का सालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करके ऐसे विनिर्दिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निर्भित विनिर्दिष्ट किया जाए, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

(ख) ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से नियमित हुआ समझा जाएगा।

(ग) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक नियमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शाश्वत उत्तराधिकार होगा, एवं उसकी सामान्य मुदा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद खलाया जा सकेगा।

(घ) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत समर्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभिवचन कुलसंचिव द्वारा हरलालकरित तथा स्थापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुलसंविय को जारी की जाएंगी तथा उस पर सामील की जाएंगी।

*Adhikam*

6. (1) राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(2) में यथा उपबंधित आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय-पत्र में यथा उल्लेखित परिवर्चन देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपकर्मों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 क. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निश्चेप के रूप में पांच करोड़ की विन्यास नियि स्थापित करेगा।

7. अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निगमित हुआ समझा जाएगा, के प्रावधान के अनुसार अनुसूची के संशोधन की तारीख से और उसके पश्चात् से विश्वविद्यालय संचालन एवं छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी।

*J. Singh  
23.1.2013*

(आशीष उच्चायाष)

सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

पृक. / 10 / सीसी/अड्डीस

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. क्षेत्रीय निदेशक एम.सी.टी.ई./एम.सी.आई./डी.ई.सी./बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
4. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (योजना शाखा), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, गवालियर संभाग मध्यप्रदेश

/

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग